

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-1782/दो-9-2018-17(8)/2018
लखनऊ : दिनांक : 18 जून, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

सुश्री पूनम निगम, पी.सी.एस., नगर मजिस्ट्रेट, पीलीभीत को जिलाधिकारी, पीलीभीत के पत्र दिनांक 02.06.2018 व 06.06.2018 के साथ प्राप्त उनके आवेदन पत्र के सन्दर्भ में श्री राज्यपाल सामान्य भविष्य निधि (उ0प्र0) नियमावली-1985 के नियम-13(2)(तीन) सपटित नियम-14(1) के अधीन उनके स्वयं के विवाह हेतु उनके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0/84478 से **रु0-4,00,000/- (रुपये चार लाख मात्र)** के अस्थाई अग्रिम की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- (1) यदि उक्त अस्थाई अग्रिम से प्राप्त धनराशि का उपयोग कथित प्रयोजन हेतु न किया जा सके अथवा उसका कोई भाग शेष बच जाये तो वह धनराशि खाते में तुरन्त वापस जमा करा दी जाय।
- (2) उक्त अस्थाई अग्रिम उन्हें विशेष दशा में स्वीकृत किया जा रहा है। उक्त अस्थाई अग्रिम से प्राप्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को (साक्ष्य सहित) तीन माह के भीतर अवश्य उपलब्ध कराया जाय।
- (3) उक्त अस्थाई अग्रिम की वसूली रु0-12,500/- प्रति माह की दर से 32 समान मासिक किश्तों में सुश्री पूनम निगम, पी0सी0एस0 के वेतन से की जायेगी। अग्रिम की वसूली आहरण के अगले माह से प्रारम्भ होगी।

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-1782(1)/दो-9-2018, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- पंजीकृत-1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, फण्ड-24, उत्तर प्रदेश,, इलाहाबाद।
- पंजीकृत-2- मुख्य कोषाधिकारी, पीलीभीत।
- 3- जिलाधिकारी, पीलीभीत।
- 4- सुश्री पूनम निगम, पी0सी0एस0, नगर मजिस्ट्रेट, पीलीभीत
- 5- नियुक्ति अनुभाग-7/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
- ✓6- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

दि 29/12/18
(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव।